[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0016 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/01/2025 19:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 10/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 10/01/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/01/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/01/2025 19:34:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 12 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KOHLA TOL NAKA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJENDRA SINGH

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 09/02/1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE POST SIVERA, PINDWARA, PINDWARA, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE POST SIVERA, PINDWARA, PINDWARA, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANJAY SHARMA		पिता:JAYNARAYAN	1. SECTOR NO.08 JILL COLLECTORET KE PEECHE,CIVIL LINE HANUMANGARH,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,51,400.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,51,400.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2025 को मन् राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक को गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संजय शर्मा मुख्य प्रबंधक हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समितियों में अन्न भण्डारण योजना में गोदामों की स्वीकृति बाबत कमीशन की रिश्वत राशि और अन्य रिश्वत राशि इक्ठा करके भादरा नोहर रावतसर क्षेत्र से आज शाम तक हनुमानगढ़ आएगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये गए। उच्चाधिकारियों से आकस्मिक चैकिंग के निर्देश प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री करण शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री सुरेश शर्मा सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग हनुमानगढ़ जक्शंन स्वतंत्र गवाहान को जरिये तहरीर तलब कर साथ लेकर मय ब्यूरो स्टाफ श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम सउनि, श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि., श्री रामजस कानि., श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि. को साथ लेकर प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर टोल प्लाजा कोहला के पास गोपनीय रूप से मुकिम हुआ, वक्त 07.10 पीएम पर एक सफेद कार फोर्ड फिगो ऐस्पायर नंबर आरजे 31 सीए 9807 रावतसर की ओर से आयी जिसे रूकवाया गया जिसमें एक व्यक्ति चैकदार कोट पहने हुए ड्राईवर सीट पर बैठा है जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व हमराहीयान का परिचय देकर गाड़ी में सवार व्यक्ति से परिचय पूछा व गाड़ी से बाहर आने को कहा तो वह गाड़ी से बाहर निकल कर आवेश में बोला मेरा नाम संजय शर्मा है साईड में चलो यहां मुझे कैसे रोका है मुझे साईड मे जाने दो आप मुझे कैसे रोक सकते है, आप सही नही कर रहे हो मेरे साथ, आप एक बारी साईड में चलकर मेरे से अकेले में बात कर लो, मै साईड में जाकर आपको अकेले में सबकुछ बता दूंगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कहा की जो भी कहना है स्वतंत्र गवाह के रूबरू कैमरे के सामने कहो तथा अपनी गाड़ी की तलाशी दो इस पर कहा की एक बार आप अकेले में साईड में चलो, आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे मुझे कैसे रोक सकते है यह कहकर धमकाने लगा, जिस पर उसे कहा गया कि हम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ से है और हमें आपके पास अवैध राशि की सूचना प्राप्त हुई है हमे आपकी व आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है इस पर भी वह कहता रहा आप ऐसे कैसे ले सकते हो तलाशी, आप सही नहीं कर रहे हो, फिर बुरी तरह से झगड़े पर उतारू हो गया फिर ब्यूरो स्टाफ से उसको काबू करवाया गया तो कहने लगा आप ऐसे कैसे कर सकते हो और धक्का मुक्की पर उतारू हो गया, फिर गवाहों व मन् पुलिस निरीक्षक ने टोल नाके पर ही संजय शर्मा के समक्ष ही कार को खोलकर चैक किया गया तो गाड़ी की कंडक्टर सीट के पीछे एक कपड़े की थैली जिस पर लक्ष्मी 846 सरसो, यांगती सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद लिखा हुआ है मिली जिसे कार से बाहर निकाला तो उसमें से पांच-पांच सौ रूपयो की गड्डियां मिली जिसके बारे में श्री संजय शर्मा से पूछने पर बोला की मैं सबकुछ बता दूंगा मुझे सब पता है इस पर पांच पांच सौ की गड्डियों को बाहर निकाल कर कार की पीछे की कार की डिग्गी पर रखकर गिना तो 15 गड्डिया पांच पांच सौ की व एक सफेद कागज में लिपटी हुई गड़डी मिली जिसके बारे में पुनः पूछने पर श्री संजय शर्मा मुख्य प्रबंधक बोला मै सब कुछ बता दूंगा मेरे है मैने कुछ दिन पहले दस लाख रूपये लोन लिया है जो मैने अपने रिश्तेदारो को उधार के वापिस देने है, इस पर पूछने पर कि किसे देने है मै सब बता दूंगा आप एक बारी मेरे साथ साईड में चलो, इस पर उससे पूछने पर कितनी राशि है तो काफि देर सोच कर बताया कि साढे आठ लाख रूपये है, फिर मन् पुलिस निरीक्षक ने संजय शर्मा से पूछा की उक्त राशि किस से व कितनी कितनी लेकर आये हो तो संजय शर्मा कुछ नही बोला व कहने लगा मै अभी कुछ नही बतांउगा, आप एक बारी साईड में आ जाओ इस पर उक्त पांच-पांच सौ रूपयों की गड्डीयों को वापिस थैली में डालकर कब्जा पुलिस लिया गया, फिर कार की तलाशी ली गई जिसमें डेश बोर्ड में दो-दो सौ रूपये के सात नोट मिले व एक छोटा कार्ड पर्स मिला जिसमें इण्डियन इंस्टीटयूट आफ बैकिंग एंव फाईनेंस मुबंई के संजय शर्मा के कुल दो मेंबर आईडी कार्ड एक नया व एक पुराना, हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. का रूपे डेबिट कार्ड नंबर 5086953800135077 जिसकी वैद्यता 10/17 से 10/24 अंकित है तथा इसी कार नं. आरजे 31 सीए 9807 की मूल आर.सी. है। उक्त दो-दो सौ रूपये के सात नोटों को अलग से रखा गया। कार की पीछे की सीट पर एक बैग है जिसमें पहनने के कपड़े है तथा पीछे की सीट पर ही बैंक से संबंधित कागजात है व एक डायरी है जिसमें आदर्श थालड़का ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष व व्यवस्थापक के हस्ताक्षरयुक्त चैक तीन लाख रूपये का हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. खाता संख्या 38013101110008389 का प्राप्त हुआ जिस पर धारक

का नाम अंकित नहीं है जिसके चैक नंबर 012530 है व थालड़का ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का कृषि यंत्र खरीद संबंधी प्रस्ताव व क्रय आदेश मिला व गाड़ी की डिग्गी में दो खाली कट्टे व उषा कंपनी का रूम हिटर मिला। वाक्यात मामला सड़क पर टोल नाका के पास होने के कारण एंव वहां भीड़ जमा व ट्रेफिक जाम की स्थिति होने के कारण व बैठने की जगह नही होने के कारण आगामी कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय संजय शर्मा व गाड़ी व ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह् के मौके से रवाना होकर यातायात पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन पर पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। यहां पर उसका नाम पता पूछने पर संजय शर्मा पुत्र जयनारायण उम्र-48 वर्ष निवासी सेक्टर नंबर 08, न्यू सिविल लाईन्स, मिनी सचिवालय के पास हनुमानगढ़ जक्शंन हाल मुख्य प्रबंधक, हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, हनुमानगढ़ होना बताया। फिर कपड़े की थैली में से पांच-पांच सौ रूपये की गड्डियों को निकालकर रूबरू स्वतंत्र गवाह गिना गया तो पांच-पांच सौ रूपये के 1500 नोट व एक सफेद कागज के पैकेट को खोला गया तो उस पर हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. लिखा हुआ है जिसमें पांच-पांच सौ रूपये के 200 नोट मिले कुल 1700 नोट कुल राशि 850000/-रूपये पाये गये। इस पर श्री संजय शर्मा से रूबरू गवाहन उक्त राशि के बारे में पुनः पूछने पर सजंय शर्मा ने बताया कि मैने पन्द्रह बीस दिन पहले केन्द्रीय सहकारी बैंक से मेरे स्टाफ लिमिट खाते से दस लाख रूपये का लोन लिया था वो रूपये मैने मेरे रिश्तेदारी में किसी को दिये थे अब मेरी बेटी का एडमिशन करवाना था इसलिए वहां से वापिस लाया था। मैं कल शाम को हनुमानगढ़ से रवाना होकर नोहर पहुंचा वह सुबह नोहर की बैंक शाखा का औचक निरीक्षण किया फिर नोहर से रवाना होकर भादरा पहुंचा व भादरा में बैंक भवन की नई बिल्डिग हेतु छ सात साईट का निरीक्षण किया फिर भादरा से रवाना होकर वापसी में थालड़का सोसायटी में रूका वहां के व्यवस्थापक ने कुछ कागजात दिये जिन्हे साथ लिये, फिर थालड़का से रावतसर होते हुए हनुमानगढ़ आ रहा था। फिर श्री संजय शर्मा की जामा तलाशी रूबरू गवाहन लेने पर दो मोबाईल एक एप्पल कंपनी का व एक विवो कपनी का जिसमें एप्पल कपनी के मोबाईल में सिम बीएसएनएल कंपनी की नंबर [redacted] व वीवो कपनी के फोन में सिम जिओ कपनी की नंबर [redacted], इसके अलावा पीछे की जेब में पांच पाचं सौ के तीन नोट, सौ-सौ रूपये के चार नोट, एक नोट पंचास का व एक नोट दस रूपये का कुल 1960 रूपये पाये गये, कोट की अंदर की जेब से तीन कार्ड मिले जिसमें एक कार्ड पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड 5126 523010647112 जिसकी वैद्यता 01/26, एक क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का संजय शर्मा 4854980606717835 जिसकी वैद्यता 07/24 से 07/31 है, दूसरा क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का पूनम शर्मा का 5181590200469054 जिसकी वैद्यता 11/30 है। श्री संजय शर्मा ने कंडक्टर सीट के पीछे मिली राशि के बारे में लोन से प्राप्त राशि होना बताते हुए अपने रिश्तेदार से वापिस उधार की प्राप्त कर लाना बताया है, रिश्तेदार के बारे में पूछने पर संतोषजन जवाब नही दिया गया है, बार-बार अलग अलग जवाब दे रहा है इस कारण कपड़े की थैली में मिली राशि 850000/-रूपये व कार की डेश बोर्ड में मिले 1400 रूपयों कुल 851400/-रूपयों को उक्त कपड़े की थैली में ही डालकर व जिस सफेद कागज में रूपये मिले उसको भी कपडे की कब्जा एसीबी लिया गया। संजय शर्मा के पास मिले एप्पल की मोबाईल व वीवो कपंनी के मोबाईल को अग्रिम जांच हेतु स्वीच आफ कर कब्जा पुलिस लिया गया, एप्पल कंपनी के मोबाईल का पासवर्ड छ बार जीरो है, व वीवो कपंनी के मोबाईल का पासवर्ड पैटर्न में नीचे के दांए कोर्नर के चार बिन्दुओं से उल्टा यू है। डायरी में मिले सहकारी समिति थालड़का के चैक व कागजात को भी मूल ही कब्जा एसीबी लिया गया व आर.सी. व आईडी कार्ड की फोटोप्रति करवाकर कब्जा एसीबी ली गई। जामा तलाशी में मिले 1960 रूपये व तीनो कार्ड व कार व कार में मिले अन्य सामान को वापिस श्री संजय शर्मा मुख्य प्रबंधक को लौटाया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग तैयार की गई बरूबरू गवाहान के समक्ष उक्त सरकारी विडियो कैमरा में से मैमोरी कार्ड जिसमें खाना तलाशी की सम्पुर्ण विडियोग्राफी है उक्त मैमोरी कार्ड को सरकारी विडियो कैमरा से निकाला गया, उक्त मैमोरी कार्ड सैनडिस्क कम्पनी का है जिस पर 16 जीबी अंकित है। उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के सरकारी लेपटाप में डाला जाकर इसकी दो पैन ड्राईव जिन पर EDENIC 8GB अंकित है में प्रतिलिपी की गई। तत्पश्चात मैमारी कार्ड तथा दोनों पैन ड्राईव की हैशवैल्यु निकाली गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेट कर प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया पीतल की सील की नमूना शील फर्द व कपडे की थैली पर अंकित की गई व एक पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया पीतल की सील की नमूना शील फर्द व कपडे की थैली पर अंकित की गई व दूसरा पैन ड्राईव खुला रखा गया। इस प्रकार उक्त आकस्मिक चैकिंग के दौरान संजय शर्मा मुख्य प्रबंधक हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ के पास मौके पर कार में मिली राशि 851400/-रूपये के संबंध में लोन से प्राप्त राशि होना बताते हुए अपने रिश्तेदार से वापिस उधार की प्राप्त कर लाना बताया है, रिश्तेदार के बारे में पूछने पर संतोषजनक जवाब नही दिया गया है, बार-बार अलग अलग जवाब देने के कारण उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुए कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अलावा डायरी में मिले सहकारी समिति थालड़का के चैक व कागजात को भी मूल ही जाचं हेतु कब्जा एसीबी लिया गया। संजय शर्मा के पास मिले एप्पल की मोबाईल व वीवो कपंनी के मोबाईल को अग्रिम जांच हेतु स्वीच आफ कर कब्जा पुलिस लिया गया। इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि संजय शर्मा मुख्य प्रबंधक हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ द्वारा लोक सेवक होते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर क्रय विक्रय सहकारी समितियों में अन्न भण्ड़ारण योजना में गोदामों की

स्वीकृति बाबत कमीशन की रिश्वत राशि और अन्य रिश्वत राशि भादरा नोहर रावतसर क्षेत्र से इक्कठा करके साथ लाया। जिसके संबंध में पूछने पर लोन से प्राप्त राशि होना बताते हुए अपने रिश्तेदार से वापिस उधार की प्राप्त कर लाना बताया है, रिश्तेदार के बारे में पूछने पर संतोषजनक जवाब नही दिया गया है, ना ही किसी रिश्तेदार के बारे में बताया है। संजय शर्मा मुख्य प्रबंधक हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ द्वारा 851400/-रूपये अवैध अर्जित कर कब्जे में रखना पाया गया, संजय शर्मा के स्पष्टीकरण एंव उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसका एक दिन का चैक पीरियड़ मानते हुये आय के ज्ञात वैद्य स्त्रोतों से भिन्न अवैध एंव भ्रष्ट तरीकों से अर्जित कर अपने को साशय समृद्ध किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया जो अन्तर्गत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के दण्ड़नीय है। अतः आरोपी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा, उम्र-48 वर्ष निवासी सेक्टर नंबर 08, जिला कलेक्ट्रेट के पीछे, सिविल लाईन हनुमानगढ़ तत्कालीन मुख्य प्रबंधक(हाल निलम्बित) हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय, हनुमानगढ के विरूद्ध एक दिन का चैक पीरियड़ मानते हुए अन्तर्गत धारा 13(1)(बी)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राजेन्द्र सिह) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो, हनुमानगढ़..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह, पुलिस निरीक्षक,भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा, उम्र-48 वर्ष निवासी सेक्टर नंबर 08, जिला कलेक्ट्रेट के पीछे, सिविल लाईन हनुमानगढ़ तत्कालीन मुख्य प्रबंधक(हाल निलम्बित) हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय, हनुमानगढ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 486 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 80-83 दिनांक 28-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-बैंक संचालक मण्डल, हनुमानगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, हनुमानगढ । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ved prakash lakhotiya **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]1/2025 1[illegible]3

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)